


21/12/24

पुनर्वली भाग डिपार्टमेंट नं. 02 के वकील द्वारा प्रेषण प्रार्थना पत्र पर पुनर्वादी हेतु दिये गये हैं। वकील प्रार्थना पत्र में उल्लिखित होकर उपरोक्त डिपार्टमेंट नं. 1 के वकील के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 को वास्तव में लागू करने के लिए आदेश का प्रश्न दिया, जिसने संदेह के प्रार्थना पत्र को नकारा जा पाये नहीं है, यः डिपार्टमेंट नं. 1 के वकील का प्रार्थना पत्र स्वीकार दिया जाकर आदेश के अन्तर्गत कार्यवाही उनी स्तर पर समाप्त की जाकर अधिकतम खर्च दिया गया है। पुनर्वली प्रश्न के अन्तर्गत उक्त प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत


21/12/24


सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहवन

